

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 01/2019

उनवान

1. वरसेंग पिता हिरा जाति भील निवासी साकरिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

1. नानु पिता हिरा जाति भील निवासी साकरिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 22.4.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विचाराधीन उक्त प्रकरण में निर्णय/प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार गढ़ी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जाने पर तहसीलदार गढ़ी द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:—

नानु पिता हिरा जाति भील के हिस्से में:—

खाता संख्या	सर्वे नम्बर	रकबा
241 (नया), 214 (पुराना)	3260/1	0.06
(जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078)	3266/1	0.05
	3270	0.03
	3272	0.04
योग:—	04	0.18

वरसेंग पिता हिरा जाति भील के हिस्से में:—


खाता संख्या	सर्वे नम्बर	रकबा
241 (नया), 214 (पुराना)	3260/2	0.05
(जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078)	3266/2	0.04
	3273	0.05
	3274	0.05
योग:—	04	0.19

तहसीलदार, गढ़ी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेद्वारा
खाता विभाजित कर पटवार हल्का खेडा के मौजा खेडा की जमाबन्दी संवत् 2075 से


उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा



2078 की खाता संख्या 241 (नया), 214 (पुराना) के सर्वे नम्बरान्/रकबा उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।


(श्रवण सिंह राठीड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

तहसीलदार, गढ़ी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारान् का खाता विभाजित कर पटवार हल्का खेडा के मौजा खेडा की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 241 (नया), 214 (पुराना) के सर्वे नम्बरान्/रकबा उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पृथक से जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार, गढ़ी को भिजवाई जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे की इत्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाया दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 01/2019

उन्वान

1. वरसंग पिता हिरा जाति भील निवारी साकरिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
-: वादी

बनाम

1. नानु पिता हिरा जाति भील निवारी साकरिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
-: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 22.4.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अभिभाषकगण पेश होकर हुकम दिया जाता है कि पटवार हल्का खेड़ा के मौजा खेड़ा की खाता संख्या 241 (नई) 214 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 3260/1 रकबा 0.06 हे०, सर्वे नम्बर 3266/1 रकबा 0.05 हे०, सर्वे नम्बर 3270 रकबा 0.03 हे०, सर्वे नम्बर 3272 रकबा 0.04 हे० कुल किता 04 रकबा 0.18 हे० भूमि नानु पिता हिरा जाति भील के नाम एवं सर्वे नम्बर 3260/2 रकबा 0.05 हे०, सर्वे नम्बर 3266/2 रकबा 0.04 हे०, सर्वे नम्बर 3273 रकबा 0.05 हे०, सर्वे नम्बर 3274 रकबा 0.05 हे० कुल किता 04 रकबा 0.19 हे० भूमि वरसंग पिता हिरा जाति भील के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार गढ़ी को भिजवाई जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 22.4.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुकमनामा	शून्य
बबत इजराय हुकमनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

